संख्या-307/2026/I/1296937/2026/071-6-7002-2-2026

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
मानवाधिकार अनुभाग-2,
उ0प्र0 शासन।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 15-04-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-04-राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन" के विभिन्न मदो में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-04-राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन" के विभिन्न मदो में प्रावधानित धनराशि रू0 **11,73,00,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख मात्र)** को अधोलिखित विवरणानुसार श्री राज्यपाल विशेष सचिव, मानवाधिकार अनुभाग-2 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा निर्धारित नियम/शर्तें/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) 'व्यय की नई मदों, अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन की सहमति से जारी की जायेंगी।

(4) समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट मे स्थानान्तरित की जायेगी।

(5) मानवाधिकार अनुभाग-2 द्वारा धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता न हो। किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता हेतु मानवाधिकार अनुभाग-2 उत्तरदायी होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता /ऑडिट आपत्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मानवाधिकार अनुभाग-2 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,53,00,000 (रुपये चार करोड़ तिरेपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 026 **लेखा शीर्षक** 2070008000400 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 7,20,00,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) को चालू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 026 **लेखा शीर्षक** 2070008000400 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव ।

संख्या-307/2026/I/1296937/2026/071-6-7002-2-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा/आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/फायर सर्विस/ अर्थ विषयक अभिसूचना इकाई / रेलवे पुलिस /सीआईडी, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/पीएसी /अभिसूचना विभाग/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/ तकनीकी सेवायें/यातायात/एस0टी0एफ0/विशेष जांच, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
10. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13. गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2, 6, 8, 8(लेखा), 9, 10, 15, 16 एवं गोपन अनुभाग-2/3, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव ।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।